

22.8.24

पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता उपस्थित नहीं।  
पट-2 व रूप रक्षक आवाज लगाने पर भी वादी  
व उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।  
अतः वादी का वाद अफग हाजरी व अदम पेशी में  
(वारीज दिया जाता है)।

उपखण्ड अधिकारी  
मंडल मिन. मालवाड़ा